सूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 02/2014

अवध किशोर सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सदर, छपरा)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
30.04.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 1112, दिनांक 31.12.2013 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 30.06.2013 को अवध किशोर सिंह, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–37/2007, पंचायत–धोरहट ,प्रखंड–मांझी की दूकान की जांच अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा के द्वारा की गई। जांच के कम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) दूकान बंद थी, एवं विक्रेता अनुपस्थित थे। (2) विक्रेता के पुत्र उपस्थित थे, लेकिन उनके द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया। (3) विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं से पूछताछ करने से उनके द्वारा बयान दिया गया कि विक्रेता समय से दूकान नही खोलते है, एवं खाद्यान्न/ किरासन तेल का वितरण छः माह के अंतराल पर मनमाने ढंग से किया जाता है। (4) विक्रेता के द्वारा निर्धारित मात्रा से कम सामग्री दिया जाता है एवं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाता है। उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर,छपरा के ज्ञापांक 642 आर0सी0, दिनांक 05.07.2013 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे वाद पुनः अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 621/अनु0, दिनांक 17.08.2013 के द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया जिसका जवाब भी	

विक्रेता के द्वारा नही दिया गया। फलस्वरूप अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञं अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा लगाया गया सभी आरोप गलत है। सच यह है कि विक्रेता को उनके विरूद्ध लगाए गए शिकायत की प्रति उपलब्ध नही कराई गई, और न ही अपने कारण पृच्छा में यह उल्लेख किया गया कि किन उपभोक्ताओं के द्वारा यह शिकायत की गई है। जांच के कम में यदि कोई प्रतिकूल बिन्दु पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से उसे विक्रेता को उपलब्ध कराकर उनसे पूरक कारण पृच्छा किया जाए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 1112 दिनांक 31.12.2013) एक मुखर आदेश नही है। कारण पृच्छा में शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं का नाम अंकित नही किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से उचित था। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा किए गए कारण पृच्छा का विक्रेता के द्वारा जवाब नही दिया जाना अपने आप में एक बड़ी अनियमितता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता से पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

30/4/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

30/4/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 294 /न्यायालय, दिनांक 02/5/15

प्रतिलिपि – SDO, सदर, छपरा / DSO, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[illegible]